30/5/25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित है। वादी स्वयं भी अनुपस्थित है। इनकी ओर से कोई अन्य वकील भी उपस्थित नहीं है। बार-बार आवाजें लगवाई गई। परन्तु नामालूम समय तक कोई भी उपस्थित नहीं है। अतः राजस्व वाद पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली पोस्ट शुमार हो। नम्बर से बाद बेकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)